न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 15/2022
3. उनवान : छोटी पत्नी मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील– किशनगढ़ रेनवाल, जिला– जयपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल

–प्रत्यर्थी

2. बुद्धा पुत्र मंगला
3. लाला पुत्र मंगला
4. बंशी पुत्र मंगला
5. भूरी पुत्री मंगला
6. शांति पुत्री मंगला
7. रामा पुत्री मंगला
8. संतोष पुत्री मंगला

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील– किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर

–तरतीबी प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक : 08/11/2024

अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा अपीलांट की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री सुरेश चाहर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 8 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रेनवाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 485, 486, 488, 489, 490 संवत 2011 से 2029 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलार्थीया के श्वसुर डालू वल्द दुला कौम कुम्हार के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात् संवत 2059 से 2062 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलार्थीया के श्वसुर के स्वर्गवास हो जाने से अपीलार्थीया के पति मंगला वल्द डालू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया जैसा कि जमाबन्दी सवत 2059–62 के खाता संख्या 401 में इन्द्राजात दर्ज है। इसी दौरान उक्त आराजीयात् को नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 2561 दिनाक 26.07.2007 माफी मंदिर श्री जानकीलाल जी के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त आराजीयात संवत 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में डालू वल्द दुला के नाम अंकित थी। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलार्थीया को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलार्थीया को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 को माफी मंदिर श्री जानकीलाल जी सा0 देह के नाम तरदीक कर दिया। अधीनस्थ

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जय...

न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 485, 486, 488, 489, 490 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा 9 के तहत डालू वल्द दुला जाति कुम्हार जो काबिज काश्त था, के नाम खातेदारी दर्ज की गई, जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–प्रबंध विभाग की खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट है। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मंदिर जानकीलाल जी की खातेदारी अथवा खुद काश्त में दर्ज नहीं रही है बल्कि उक्त भूमि मन्दिर श्री जानकीलाल जी की जागीर की भूमि थी तभी अपीलार्थीया के श्वसुर डालू उक्त भूमि के रिकॉर्डेड कृषक थे। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मंदिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित डालू पुत्र दुला के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा डालू की मृत्यु के बाद अपीलार्थीया के पति मंगला का नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पड़ताल करने के बाद दर्ज हुआ। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.5.2007 एवं उसकी पालना में राजस्व मंडल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2010 भी इस संबंध में स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करते हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 2561 आदेश दिनांक 26.07.2007 को अपास्त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि के खातेदार के रुप में अपीलार्थीया एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण का नाम पूर्व खातेदार मंगला के वारिस होने से दर्ज किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अपीलार्थीया एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण जो कि ग्रामीण परिवेश के गरीब अशिक्षित भोले भाले व्यक्ति हैं। जिन्होंने उक्त आराजीयात के रिकॉर्ड बाबत हल्का पटवारी से दिनांक 16.08.2022 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके नाम के स्थान पर माफी मंदिर जानकीलाल जी सा देह का नाम दर्ज देखकर अपीलार्थीया ने नामान्तकरण संख्या 2561 की नकल रिकॉर्ड से प्राप्त कर अपील तैयार कर अविलम्ब अदालत हाजा में प्रस्तुत की। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश के अपील प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है, जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अपील प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर जानकारी की तिथि से अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट ने अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन नामान्तरण सं0 2561 दिनांक 26/07/2007 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चाहर उपस्थित हुए। अपील के सन्दर्भ में मूल रिकॉर्ड एवं जवाब मंगवाया गया।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 5122 दिनांक 23/10/2024 के संलग्न जवाब प्रेषित किया गया जिसमें अंकित है कि ग्राम रेनवाल के ग्राम रेनवाल भू0 आ0 नि0 रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल की भू–प्रबंध विभाग सेटलमेंट

अतिरिक्त कलक्टर एवं

खतौनी संवत 2011–2029 के खाता संख्या 284 के खसरा 485, 486, 488, 489, 490 कुल किता 05 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा में कॉलम संख्या 5 में डालू वल्द दुला कोम कुम्हार सा0 देह ढाणी सुकडी मु0 क0 व कॉलम 4 में माफी मंदिर श्री जानकीवल्लभ जी मजकूर दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण सख्या 379 विरासत द्वारा डालू पुत्र दूला के बजाय मंगला पुत्र डालू जाति कुम्हार के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ है। जमाबंदी संवत 2059–2062 के खाता संख्या 401 में खसरा नंबर 485/1,.486, 488, 489, 490 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में मंगला पुत्र डालू जाति कुम्हार खाता सख्या 488 के अनुसार खसरा नम्बर 485/2 रकबा 0.10 बीघा में लालाराम पुत्र मंगला जाति कुमावत सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान सरकार देव स्थान विभाग क्रमांक अ–12(22)देव–91 दिनाक 06.03.2003 व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के क्रमांक/ राजस्व/5/2003/3231 दिनांक 10.03.2003 की अनुपालना में ग्राम रेनवाल के खसरा न 485/1,486, 488, 489, 490 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं 485/2 रकबा 0.10 बीघा में नामान्तकरण संख्या 2561 द्वारा मंगला पुत्र डालू जाति कुम्हार व लोलाराम पुत्र मंगलाराम जाति कुमावत सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री जानकीलाल वाके देह के नाम अमल दरामद हुआ।

उक्त जवाब प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जाच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 485, 486, 488, 489 व 490 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा 9 के तहत डालू वल्द दुला जाति कुम्हार जो काबिज काश्त था, के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू प्रबध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त सवत 2011 से 2019 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीया के पूर्वज व उनके बाद अपीलार्थीया एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण उपरोक्त आराजीयात पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। माफी रिज्यूम हो जाने से उपरोक्ता के कॉलम से मंदिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित डालू पुत्र दुला के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा डालू की मृत्यु के बाद अपीलार्थीया के पति मगला का नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद दर्ज हुआ। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 24.05.2007 एव उसकी पालना में राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 06.01.2010 तथा परिपत्र दिनांक 25.11.2011 भी इस सम्बन्ध में स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करते है। सन् 2007 में अर्थत संवत 2059 से 2062 में 50 वर्षो से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार बिना किसी सक्षम आदेश के व बिना सूचना व बिना सुने बिना साक्ष्य सवूत का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 4–3 (2) राज 6/2007 दिनांक 24. 05 2007 व परिपत्र क्रमाक प–3 (2) राज–6/07/19 दिनाक 25.11. 2011 में स्पष्ट निर्देश है कि गलत ढंग से कृषको का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरूद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। उक्त आराजीयात के रिकॉर्ड बाबत हलका पटवारी से दिनाक 16.08.2022 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके नाम के स्थान पर माफी मन्दिर जानकीलाल जी सा देह का नाम दर्ज देखकर उक्त अंकन राजस्व रिकॉर्ड में होने के तथ्य की जानकारी हुई अपीलार्थीया ने नामान्तकरण संख्या 2561 की नकल रिकॉर्ड से प्राप्त

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

कर अपील तैयार कर अविलम्ब अदालत हाजा में प्रस्तुत की। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश के अपील प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है, जहां गैरकानूनी तरीकों से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण सख्या 2561 आदेश दिनाक 26.07.2007 को अपास्त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि के खातेदार के रूप में अपीलार्थीया व तरतीबी प्रत्यर्थीगण का नाम पूर्व खातेदार मंगला के वारिस होने से दर्ज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 8 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात संवत 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में डालू वल्द दुला के नाम अंकित थी। जिस पर अपीलार्थीया के पूर्वज व रेस्पोडेन्ट्स निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण सख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 विधि विरुद्ध माफी मन्दिर श्री जानकीलाल जी सा0 देह के नाम तस्दीक कर दिया। धारा 10 जागीर अधिनियम 1952 का मुख्य आधार जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के वक्त दिनांक 01.07.1963 को भूमि जागीरदार/माफीदार की खुदकाश्त होना परम आवश्यक है। राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 06.01.2010 तथा परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुसार जिन कृषकों को खातेदारी अधिकार हो गये परन्तु मूर्ति मन्दिर की माफी (जागीर) भूमि मानकर दायर रेफरेन्स केस लम्बित हैं। उनका इस परिपत्र के अनुसार निस्तारण होने से निराकरण हो जाता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 11.06.2020 के अनुसार जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय अभिलेख अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रुप में या किसी अन्य रुप में अन्तर्हित हो उस काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण अधिकार प्राप्त है तो वह 1952 की अधिनियम की धारा 9 के अनुसार विधिक रुप से खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त परिपत्रों की पालना में अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट्स के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में जमाबंदी संवत 2011–2029 तथा न्यायिक दृष्टांत 2012(1)RRT868 पेश किये हैं।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 485, 486, 488, 489, 490 माफी मंदिर श्री जानकीलाल वाके देह के नाम अंकित है एवं कृषक के खाना नम्बर पाँच में डालू वल्द दुला काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी बल्कि डालू वल्द दुला की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप में प्रदत्त जागीर की भूमि, जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाए। जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो डालू वल्द दुला की खातेदारी में थी तथा उसके बाद विरासतन अपीलार्थी तथा तरतीबी प्रत्यर्थीगण की खातेदारी में दर्ज रही है, उसे उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरन्स के माफी मंदिर श्री जानकीलाल जी खातेदारी में जरियें नामान्तररण संख्या 2561 दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण परिपत्र क्रमांक प. 12(22) देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने के कोई निर्देश प्रदान नही किये गये हैं। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नहीं है, वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधिविरुद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 तस्दीक किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर के आदेश दिनांक 26.07.2007 एवं नामान्तकरण संख्या 2561 वाके ग्राम रेनवाल को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर